



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



संदर्भ : एएआई/पीबी/वाणिज्यक/ईवी/2024-25/179

दिनांक: 18.11.2024

स्पीड पोस्ट

Speed- Post

सेवा में/To,

मैसर्स स्काई हाई एविएशन सर्विसेज/M/s Sky High Aviation Services,

एच नंबर: 81-24-19/ H No: 81-24-19,

वेंकटेश्वर नगर/ Venkateswara Nagar,

राजमुंदरी/ Rajahmundry,

पूर्वी गोदावरी जिला/ East Godavari Dist,

आंध्र प्रदेश- 533106/Andhra Pradesh -533106.

विषय: वी.एस.आई एयरपोर्ट, श्री विजया पुरम (पोर्ट ब्लेयर) में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस का आवंटन।

Sub: Award of License for Supply, Installation, Testing, Commissioning, Operation and Maintenance of Electric Vehicles (EV) Charging Station" at VSI Airport, Sri Vijaya Puram (Port Blair)

प्रिय महोदय/Dear Sir,

हमें आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सक्षम प्राधिकारी ने इस ई-बोली संख्या 2024\_AAI\_205178\_1, दिनांक 16.08.2024 के जवाब में " वीएसआई हवाई अड्डा, श्री विजया पुरम (पोर्ट ब्लेयर) में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव लाइसेंस" के लिए आपकी बोली स्वीकार कर ली है।

We are pleased to inform you that Competent Authority has accepted your bid for "License for Supply, Installation, Testing, Commissioning, Operation and Maintenance of Electric Vehicles (EV) Charging Station" at VSI Airport, Sri Vijaya Puram (Port Blair)," in response to the E-bid No. 2024\_AAI\_205178\_1, dated 16.08.2024.

निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार मैसर्स स्काई हाई एविएशन सर्विसेजको 10 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है:/ The licence is hereby accorded to M/s Sky High Aviation Services for a period of 10 Years as per the following terms & conditions:

1. यह आवंटन पत्र एक समझौते का हिस्सा होगा जिसे लाइसेंसधारी द्वारा इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया जाना है।  
This award letter will be a part & parcel of agreement to be submitted by the licensee by signing it as acceptance within 07 days from the date of issuance of this award letter.
2. बिजनेस इनक्यूबेशन अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिन है, बोलीदाता आवंटन पत्र की सभी औपचारिकताओं/शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

**Business Incubation Period** is **15 days** from the date of issuance of award letter. Bidder will be under obligation to complete all the formalities/conditions of award letter.

3. 90 दिनों की गर्भाधान अवधि लागू है, जो बिजनेस इनक्यूबेशन अवधि की समाप्ति की तारीख से मानी जाएगी यानी आवंटन पत्र जारी होने के 16 वें दिन से और आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 105 वें दिन समाप्त होगी।

Gestation period of **90 days is applicable**, which will be reckoned from the date of expiry of Business Incubation Period i.e. from the **16<sup>th</sup> day** of issuance of award letter and expiring on the **105<sup>th</sup> day** from the date of issuance of award letter.

4. लाइसेंस 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। वाणिज्यिक बिलिंग व्यवसाय शुरू होने या निर्माण अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, शुरू होगी।

The licence will be valid for a period of **10 Years**. Commercial billing will start on commencement of business or expiry of gestation period, whichever is earlier.

5. लाइसेंस शुल्क एवं क्षेत्रफल, स्थान किराया आदि का विवरण इस प्रकार होगा:

The details of the licence fee & area, space rent, etc. will be as follows:

| SL No                                                     | लाइसेंस और क्षेत्र का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |              | लाइसेंस शुल्क                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 01                                                        | <b>License for Supply, Installation, Testing, Commissioning, Operation and Maintenance of Electric Vehicles (EV) Charging Station” at VSI Airport, Port Blair</b><br>Area: EV Charging Zone Area / Service Area for charging EV i.e. equivalent Car Space (ECS) and maneuvering thereof – <b>75 Sqm. (approx.)</b><br>Area for installation of EV charging infrastructure - <b>10 Sqm (Paved Land)</b> |                       |                    |              | <b>14.00 % of actual invoices</b>                                          |
| 02                                                        | क्षेत्र का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वार्षिक लाइसेंस शुल्क | 10% यूटिलिटी शुल्क | जीएसटी @ 18% | वार्षिक देय राशि                                                           |
|                                                           | EV charging infrastructure <b>10 Sqm</b><br>(Paved Land Non-Operational)<br>@ 1200/-per sqmtr. per annum w.e.f. (01.04.2022 to 31.03.2025)<br>(Paved Land Non-Operational)<br>@ 1380/- per sqmtr. per annum w.e.f. (01.04.2025 to 31.03.2028)                                                                                                                                                          | <b>12,000</b>         | <b>1,200</b>       | <b>2,376</b> | <b>15,576/-</b><br>(Rupees Fifteen Thousand Five Hundred Seventy-Six Only) |
| <b>The minimum number of charging stations will be 2.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |              |                                                                            |

6. मौजूदा दरों पर जीएसटी और अन्य सभी लागू कर/लेवी/शुल्क लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त लाइसेंसधारी द्वारा देय हैं।

GST and all other applicable taxes/levies/fees at the prevailing rates are payable by the licensee in addition to the licence fee.

7. लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त स्थान किराये पर 10% की दर से उपयोगिता शुल्क देय होगा। स्थान किराये एएआई, सीएचक्यू द्वारा निर्धारित दरों पर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हर साल 1 अप्रैल को लागू होगी या एएआई द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाएगी।  
Utility charge @ 10% on space rent shall be payable in addition to licence fee by the licensee. Compound annual escalation of space rent or at the rates prescribed by AAI, CHQ will be applicable on 1<sup>st</sup> April every year or revised by AAI from time to time.
8. लाइसेंसधारी को एएआई दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारी नाम की ब्रांडिंग के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषी बोर्ड स्थापित करना होगा।  
The licensee shall install bilingual board both Hindi and English for branding licensee name as per AAI guidelines.
9. लाइसेंसधारी वास्तविक उपयोग के अनुसार बिजली की खपत और पानी के शुल्क का भुगतान करेगा।  
The licensee shall pay the charges for the consumption of the electricity and water charges as per actual usage.
10. लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख या उससे पहले अग्रिम रूप से किया जाता है।  
The licence fee is payable by the licensee in advance on or before 15<sup>th</sup> day of each month.
11. प्राधिकरण चालू माह के सभी बिल (एमएमजी/एमएजी और वार्षिक भूमि पट्टा बिलों को छोड़कर किसी भी अन्य बिल सहित) बिजली, पानी आदि जैसे व्यय बिलों की सत्य-भुगतान और प्रतिपूर्ति को छोड़कर, महीने के पहले दिन अग्रिम रूप से जारी करेगा। पूरे महीने के लिए बिजली, पानी शुल्क आदि जैसे व्यय की प्रतिपूर्ति अगले महीने की 5 तारीख को की जाएगी। 15 दिनों की क्रेडिट अवधि (चालान की तारीख प्लस 15 दिन) प्रदान की जाएगी, जो प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने पर कटौती के अधीन है। जिन मामलों में रियायतग्राही/एजेंसियों ने देय तिथि के बाद लेकिन 90 दिनों (तारीख) के भीतर चालान का निपटान किया है, प्राधिकरण नियत तारीख (यानी चालान की तारीख प्लस 15 दिन) से प्राधिकरण के खाते में प्राप्त भुगतान की वास्तविक तारीख तक 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाएगा। चालान का प्लस 90 दिन) और रियायतग्राही/एजेंसियों के मामले में प्राधिकरण के खाते में प्राप्त भुगतान की वास्तविक तिथि तक देय तिथि से 18% प्रति वर्ष की दर से 90 दिनों के बाद चालान का निपटान किया जाता है। एजेंसी द्वारा किए गए आंशिक भुगतान के मामले में, चालान की शेष राशि पर लागू ब्याज दर के समान शुल्क लिया जाएगा।

The Authority shall raise all bills (including MMG/MAG and any other bills except annual land lease bills) for the current month on 1st day of month in advance except true-up and reimbursement of expenditure bills like electricity, water etc. The Invoices for reimbursement of

expenditure like electricity, water charges etc. for the completed month shall be raised on 5th of succeeding month. A credit period of 15 days (date of invoice plus 15 days) shall be provided, which is subject to reduction as and when decided by Authority. Authority shall levy penal interest @12% per annum from the due date (i.e. date of invoice plus 15days) till the actual date of payment received in authority's account in the cases concessionaire/ agencies settled the invoice after due date but within 90 days (date of invoice plus 90 days) and @18% per annum from the due date till the actual date of payment received in Authority's account in the case of concessionaire/ agencies settled the invoices after 90 days. In case of part payment made by agency, same rate of interest on the balance amount of invoices as applicable shall be charged.

12. लाइसेंसधारी को सुरक्षा जमा के रूप में रुपये 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) [अर्थात् रु. 50,000/- x 2 चार्जिंग स्टेशन] के बराबर राशि पुरस्कार पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है।

*“बाजार की वृद्धि के अनुसार तीसरे वर्ष की समाप्ति से पहले एएआई द्वारा सुरक्षा जमा राशि की समीक्षा की जाएगी। तदनुसार, लाइसेंसधारी बढ़ी हुई सुरक्षा जमा राशि (यदि बढ़ाई गई हो) जमा करेगा।”*

राशि केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में पोर्ट ब्लेयर में देय राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक आरटीजीएस/एनईएफटी/बैंक बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जाएगी। सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक से बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंक गारंटी अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद 06 महीने तक वैध रहेगी। सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है। बैंक गारंटी एसएफएमएस सिस्टम सत्यापन योग्य होगी।

**The licensee is required to deposit an amount equal to Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh Only) [i.e. Rs. 50,000/- x 2 charging stations] as Security Deposit within 15 days from the date of award letter.**

*“Security Deposit Amount shall be reviewed by AAI before the end of 3<sup>rd</sup> year as per the market growth. Accordingly, the Licensee would submit the enhanced Security Deposit (if increased)”*

The security deposit will be accepted only in the form of RTGS/NEFT/Bank Guarantee of a nationalized /scheduled bank in favour of Airports Authority of India, payable at Port Blair. Bank Guarantee from Cooperative Bank or Gramin Bank will not be accepted. The Bank Guarantee shall be valid during the currency of contract and 06 months thereafter. No interest is payable on Security Deposit. Bank Guarantee shall be SFMS system verifiable as per attached format.

13. लाइसेंसधारी को आवंटित आवंटन का उपयोग विशेष रूप से उन सेवाओं के उद्देश्य के लिए करने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है, किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

The licensee shall be allowed to use the allotted space exclusively for the purpose of services for which it is allotted and not for any other purpose under any circumstances.

14. लाइसेंसधारी से अनुरोध है कि वह इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में साइट हैंडओवर/ टेक ओवर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर एएआई और पार्टी द्वारा संयुक्त माप किया जाएगा। संयुक्त माप समझौते का एक हिस्सा बनेगा।

The licensee is requested to submit site hand over/take over report at this office within 15 days from the date of issue of this award letter. The joint measurement would be carried out by AAI and the party within 15 days from the date of issue of this award letter. The joint measurement would form a part of the agreement.

15. इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी से रुपये 100/- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (अंडमान एवं निकोबार (यू.टी.)) पर लाइसेंस समझौते के निष्पादन के लिए अनुरोध किया जाता है। स्टाम्प पेपर की लागत जो लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।

The licensee is requested for execution of Licence Agreement on Rs. 100/- non-judicial stamp paper of Andaman & Nicobar (U.T.) only within 15 days from the date of issue of this award letter. The cost of stamp paper which will be borne by the licensee.

16. लाइसेंसधारी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए आवंटन का एक लेआउट प्लान प्रस्तुत करना आवश्यक है।

The licensee is required to submit a lay-out plan of the allotment for approval of the Competent Authority.

17. लाइसेंसधारी समय-समय पर लागू श्रम कानूनों के सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

The licensee shall abide by all the rules and regulation of Labour Laws applicable from time to time.

18. लाइसेंसधारी अपने खर्च पर फायर अलार्म सिस्टम सहित सभी इलेक्ट्रिक फिटिंग, इंस्टॉलेशन और ऐसे अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों का रखरखाव करेगा जो उक्त परिसर में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या इसके बाद उक्त परिसर में उक्त प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।

The Licensee shall maintain at his own cost all the electric fittings, installations and such other electric equipment's including Fire Alarm System as may be prescribed by the Authority in the said premises or as may hereafter be provided by the said Authority in the said premises.

19. लाइसेंसधारी प्राधिकरण से लिखित पूर्व अनुमति के बिना उक्त परिसर में किसी अन्य प्रकार का विज्ञापन या साइनबोर्ड नहीं लगाएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा।

The Licensee shall not erect or display any other type of advertisement or signboards upon the said premises without prior permission in writing from the Authority.

20. लाइसेंसधारी से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह लाइसेंस शुरू होने से पहले उक्त लाइसेंस के लिए नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के नाम सूचित करे।  
The licensee is also requested to intimate the names of the persons to be employed for the said licence before commencement of the licence.
21. यह आवंटन पत्र लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न अंग होगा जो दोनों पक्षों, यानी लाइसेंसधारी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बाध्य करेगा।  
This award letter will be an integral part of licence agreement binding both the parties, i.e. the licensee and Airports Authority of India.
22. अन्य सभी नियम एवं शर्तें एनआईटी के अनुसार होंगी।  
All other terms & conditions will be as per NIT.
23. अनुरोध है कि एक स्वीकृति पत्र 07 दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित किया जा सकता है और ऊपर उल्लिखित अन्य सभी औपचारिकताएं 15 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरी की जा सकती हैं।  
It is requested that an acceptance letter may be conveyed to this office within 07 days and all other formalities as mentioned above may be completed within the stipulated time period of 15 days.

Thanking you,

आपका विश्वासी/Yours faithfully,

*(Handwritten signature)*  
18.11.2024

चंद्र प्रकाश रंजन/Chandra Prakash Ranjan  
सहायक प्रबंधक(वाणिज्य)/AM (Commercial)  
कृते विमानपत्तन निदेशक/for Airport Director

प्रतिलिपि:

सं.म.प्र.(वाणिज्य), (पू.क्षे.)

Copy to:

Jt.GM (Comml.), ER

आंतरिक प्रतिलिपि:

एपीडी/डीजीएम(ई-ई)/डीजीएम (ई-सी)/एजीएम(फिन)/एजीएम(ऑपरेशन)/सीएसओ

Internal Copy to:

APD/ DGM (E-E)/DGM(E-C)/AGM(Fin.)/AGM(Ops.)/CSO

Signature Not Verified

Digitally signed by CHANDRA PRAKASH  
RANJAN, Airport, Port F - 744103  
Date: 2025.07.25 13:44:45 IST  
Location: eProcurement System for Central  
PSUs